बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0–1/निदे0छात्रावास(नि0/म0)–05–23/2014– 36

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 29.06.17

विषय :–**वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत कार्यपालक अभियंता भवन प्रमण्डल, छपरा के पत्रांक–806 दिनांक–07.06.2017 के आलोक में विभागीय पत्रांक–5170, दिनांक–17.09.15 द्वारा वर्ष–2015–16 में डा0 भीम राव अम्बेदकर छात्रावास, छपरा अन्तर्गत हॉस्टल न0–2 के विशेष मरम्मति के लिए स्वीकृति राशि कुल ₹23,27,900/–(तेईस लाख सताईस हजार नौ सौ रू0) मात्र की व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति।**

आदेश :–**स्वीकृत।**

2– प्रस्तावित राशि वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य स्कीम मद के अन्तर्गत भवन निर्माण विभाग के मांग सं0–03 के अन्तर्गत बजट शीर्ष "4059– लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–01–कार्यालय भवन–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष धटक योजना–0101–अनुसूचित जाति के भवन–विषय शीर्ष–0101.53.01–मुख्य निर्माण कार्य–विपत्र कोड–03–**4059017890101** से राशि विकलनीय होगा। व्यय बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

3– राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक–2561 दिनांक 17–4–1998 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों के निहित निदेशों के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

4– स्वीकृत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे।

5– निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा तैयार किये गये नक्शा, प्राक्कलन तथा निर्धारित मापदण्ड एवं निर्धारित समय सीमा के अन्दर निर्माण करा लिया जायेगा। कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग भवन प्रमण्डल, सारण के पत्रांक–1100(अनु0) छपरा, दिनांक–20.07.2015 से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आलोक में विभागीय पत्रांक–5170 दिनांक–17.09.15 द्वारा दिये गये स्वीकृति विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत अनुसूचित जाति उपयोजना (SCA to SCSP) के अन्तर्गत आधारभूत संरचना (Infra structure) मद में राशि उपलब्ध नहीं रहने के कारण भवन निर्माण विभाग के मांग सं0–03 अनुसूचित जाति के भवन के लिए उपबन्धित राशि से व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।

6– इस योजना के लिये नियंत्री पदाधिकारी, प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग होंगे। वे समय–समय पर कार्य की प्रगति एवं व्यय की गई राशि की उपयोगिता की सूचना अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को भी माहवार उपलब्ध करायेंगे।

7 – इस प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार से सहमति प्राप्त है।

8 – इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार को दी जा रही है।

9 – कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– सं0–1 / निदे0छात्रावास(नि0 / म0)–05–24 / 2014– 36 पटना,दिनाकः- 29.06.17

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव वित्त विभाग, बजट, शाखा / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रषित।

(2) प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग / प्रधान सचिव, निगरानी विभाग / विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) संबधित कोषागार पदाधिकारी बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) प्रमंडलीय आयुक्त, सारण(छपरा) / निदेशक, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग / जिला पदाधिकारी, सारण(छपरा) / उप विकास आयुक्त, सारण(छपरा) / उप निदेशक, कल्याण, सारण(छपरा) / जिला कल्याण पदाधिकारी, सारण(छपरा) / कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, सारण(छपरा) / प्रभारी पदाधिकारी, बजट प्रशाखा, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना / आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव।

and allotment 2017